कार्यालय कलेक्टर, जशपुर, जिला जशपुर (छत्तीसगढ़) //अनापत्ति प्रमाण पत्र//

कमांक **4992**/ वाचक / 2019: प्रति, जशपुर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर (छत्तीसगढ़)।

विषय :- भारतनेट परियोजना हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित वन भूमि 3. 945 हेक्टेयर का FRA प्रमाण पत्र एवं राजस्व वनभूमि 0.300 हेक्टेयर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र कमांक 2701 / मुकाअ / चिप्स / 2019 रायपुर, दिनांक 29.11.2019

-00-

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। "भारतनेट प्रोजेक्ट" के तहत जशपुर जिला क्षेत्र के जशपुर वन मण्डल क्षेत्रान्तर्गत पत्थलगांव एवं फरसाबहार ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनतर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू–प्रतवर्तन करना उल्लेखित किया गया है :–

कमांक	तहसील	ग्राम	खसरा	रकबा	मद	रिमार्क
				(हे0 में)		
01.	पत्थलगांव	लुड़ेग	1/46	0.486	छोटे झाड़ के जंगल	केवल प्रभावित
						क्षेत्र में ही
						केबल बिछाने
		ģ				का कार्य किया
						जावेगा।
			121/1	39.040 हे0	बड़े झाड़ के जंगल	-,,-
02.	फरसाबहार	पुराईनबंध	2	17.575	बड़े झाड़ के जंगल	_,,_
			4/1	31.436	बड़े झाड़ के जंगल	-,,-
			9/1	16.167	बड़े झाड़ के जंगल	_,
			103/1	12.055	बड़े झाड़ के जंगल	_,,_
		गारीघाट	1/1 क	91.738	बड़े झाड़ के जंगल	_,,_
			1/3	0.809	बड़े झाड़ के जंगल	_,,_
			335 / 1	51.148	बड़े झाड़ के जंगल	
			क			
		सागजोर	22	11.371	बड़े झाड़ के जंगल	_,,_
			64/1	3.257	बड़े झाड़ के जंगल	-,,-
		3	71/1	9.671	बड़े झाड़ के जंगल	-,,-

राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ / बड़े झाड़ के जंगल)

Govt.Case letter

		85/1	15.892	बड़े झाड़ के जंगल	<i>_,,_</i>
		137 / 1	59.350	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
		294 / 1	105.420	बड़े झाड़ के जंगल	—,, —
	हाथीबेड़	5/1	19.675	बड़े झाड़ के जंगल	<i>_,,</i> _
		38/1	12.051	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
	गंजियाडीह	45/1	5.737	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
		399/1	19.922	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
		416/1	0.809	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
		416/6	1.922	बड़े झाड़ के जंगल	<i>—,,—</i>
	कन्दईबहार	178/1	27.665	बड़े झाड़ के जंगल	-,,-
		226/1	6.309	छोटे झाड़ का	<i>_,,_</i>
				जंगल	
		498/1	34.617	बड़े झाड़ के जंगल	<i>_,,</i> _
		क		<u> </u>	

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे—बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग कियेजाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू—प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है तथा संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों में स्थितधार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती है, तो इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर.

जिशपुर (छत्तीसगढ़) जशपुर, दिनांक *३०* दिसम्बर, 2019

कमांक ४*१९२ 🏞* वाचक / २०१९: प्रतिलिपि :—

- 01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02. वन मण्डलाधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

03. प्राधिकृत अधिकारी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रायपुर (छत्तीसगढ़) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जशपुर (छत्तीसगढ़)

Govt.Case letter

21

FORM-1 (For Linear Project) Government of Chhattisgarh Office of the District collector, Jashpur

No: 4993 / Reader

Date: 30/12/2019

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliances of the ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed of the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act-2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of liner project, it is certified that 3.945 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. (name of the user agency) for laying Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase-II (Purpose for diversion of forest land) in Jashpur District falls in within jurisdiction of Jashpur District i.e. Pathalgaon and Farsabahar Block.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of Rights under the FRA has been carried out for the entire 3.945 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (Not Applicable)
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it; (Not Applicable)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitives Tribal groups and Pre-agricultural communities. As the purpose of the use of the land in essence is not diverted but only for allowing CEO, Chhattisgarh Infotech Promotion Society (CHiPS) Raipur, C.G. for laying underground Optical Fiber Cable for BharatNet Project Phase- II (A Part of Digital India).

Collector, District-Jashpur Chhattisgarh)